



कार्यालय आयकर निदेशक (छूट),

Office of the

Director of Income Tax (Exemption)

दूसरी मंजिल, नेचर व्यू बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009
2ND floor, Vasant Nature View Building, Ashram Road,
Ahmedabad 380009

फा.सं.आ.नि(छूट.)/अहम./80जी (5)/862/2011-12

ता.: 22.11.2011

न्यासी /The Trustee

SHREE THARA JAIN SHWETAMBER MURTI PUJAK SANGH-THARA
AT& POST THARA TAL-KANKREJ
DIST-BANASKANTHA

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत
रिन्यूअल की स्वीकृति के लिए आवेदन -

Sub: Application for grant of Approval / renewal
u/s. 80G(5) of I.T.Act, 1961 -

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के ता.के फार्म नं. 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी(5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर, कटौती योग्य है।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution on 16.02.2010 it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction u/s.80G(5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein.

2. उपर्युक्त छूट ता. से वैध है। जब तक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्न-लिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता।

This exemption is valid from 01.04.2011 onwards (A.Y. 2011-12 onwards) unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions :-

- (i) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह वैध है, का उल्लेख करें।
Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.
- (ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15), 11, 12, 13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।
The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the I T Act, 1961

- (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4A)/(4C)/(4D) के तहत अधिक विवरों के साथ, अहाँ लागू हो, संबंधित निर्धारण अधिकारी को निम्न तरीके से एवं एवं के लेखा विवरण एवं बीरोक-बीट के साथ आयकर विवरणों प्रस्तुत करनी होगी।

The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/(4C)/(4D) of the IT Act, 1961 every year along with the audit report, whenever applicable.

- (iv) अगर विवेक/परामर्शदाता साधन/विधि/संस्था/पत्रिका के अति निर्देशों में या भी कोई संशोधन हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए।
Amendments if any made to the deed of association/constitution of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.

34

(राजनीत राजमहाराज जी)

आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
Director of Income Tax (Exemption),
Ahmedabad

प्रतिनिधि

Copy to :

- (i) अपर आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद.
The Addl. DIT(Exemption), Ahmedabad.

- (ii) उप आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद द्वारा संबंधित वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए वार्षिक लेखा विवरण से संतुष्ट हो एवं यह भी देखें कि आदेशक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(जी) की शर्तों तथा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी दिश-निर्देशों का पालन करने लगे रहें।

The DDIT(Exemption), PALANPUR is to be satisfied with reference to annual statements and accounts for the relevant years submitted by the applicant and see that it continue to fulfill the conditions laid down U/s 80G of the IT Act and instructions issued by the Board from time to time.

(RAMJILAL MEENA)

आयकर अधिकारी (मुख्य), अहमदाबाद
Income Tax Officer (H.O.),
छूट आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
For Director of Income Tax (Exemption),
Ahmedabad